न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 132/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 28.9.2016
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. नरेन्द्र कुमार आत्मज श्रीलाल जाति धाकड
2. राजेन्द्र कुमार उर्फ रमेश चन्द आत्मज श्रीलाल जाति धाकड
   निवासीगण ग्राम दुर्जनपुरा तहसील बांरा जिला बांरा (राज0)।

....अपीलाट

बनाम

1 हेमराज आत्मज रामेश्वर जाति धाकड
2 ललित आत्मज रामेश्वर जाति धाकड
3 सोसर बाई बेवा रामेश्वर जाति धाकड
  निवासीगण ग्राम दुर्जनपुरा तहसील व जिला बांरा
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बांरा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलाट
श्री रघुवीर सिंह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3

:::निर्णय:::

दिनांक 25.01.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांरा जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 21/03 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान हेमराज वगेरा नाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, नरेन्द्र कुमार आदि मे पारित निर्णय दिनांक 7.9.2012 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील कें तथ्य इस प्रकार है, कि रेस्पो0 हेमराज वगेरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके खाते मे ख0 नं0 145 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा के स्थान पर सेटलमेंट विभाग द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 158 रकबा 0.40 है0 दर्ज कर 1 बीघा 18 बिस्वा अर्थात 0.31 है0 भूमि कम दर्ज कर नरेन्द्र कुमार के खाते मे ख0 नं0 157 मे बढाने तथा राजेन्द्र कुमार के खाते मे दर्ज भूमि खसरा नं0 333 रकबा 0.20 है0 मे से 0.07 है0 भूमि कम करने व नरेन्द्र कुमार के खातेदारी मे दर्ज भूमि ख0 नं0 331 रकबा 0.18 है0 मे से 6 बिस्वा भूमि कर उनके नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी मे दर्ज करने का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने हेमराज वगेरा (रेस्पो0) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को स्वीकार कर विवादित आराजी हाल ख0 नं0 157 रकबा 3.11 है0 मे से 0.20 है0 नरेन्द्र कुमार के खाते से कम कर ख0 नं0 157 रकबा 2.91 है0 दर्ज कर मृतक रामेश्वर के वारिसान के खाते मे ख0 नं0 158 रकबा 0.40 है0 मे से 0.20 है0 बेशी कर ख0 नं0 158 रकबा 0.60 है0 दर्ज किये जाने एवं नरेन्द्र के खाते दर्ज ख0 नं0 331 रकबा 0.18 है0 मे से 0.04 है0 कम कर ख0 नं0 331 रकबा 0.14 है0 अंकित कर प्रार्थीगण के खाते ख0 नं0 332 रकबा 0.15 है0 के स्थान पर ख0 नं0 332 रकबा 0.19 है0 ग्राम

दुर्जनपुरा तहसील बारां दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल करने का दिनांक 7.9.2012 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट नरेन्द्र कुमार वगेरा द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये व सूचना दिये आदेश पारित किया है जो कानून के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना है। सेटलमेंट विभाग द्वारा किसी प्रकार की रकबे मे बढोत्तरी नही की गई सेटलेमेट से पूर्व अपीलांट जिस स्थान पर काबिज था उसी स्थान पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं साक्ष्य के अपीलांट की भूमि बढी हुई होना मानकर अपीलांट के विरूद्ध जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। ख0 नं0 158 व 332 की भूमि सेटलमेंट से पूर्व ही आवंटन की जा चुकी है अतः आवंटियों को पक्षकार बनाये बिना ही आदेश पारित कर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 7.9.2012 पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी कर सूचना नही दी। अपीलांट को सम्मन की तामील नही हुई। आदेशिका के अनुसार जितेन्द्र (भतीज को) को तामील देना वर्णित किया है। जितेन्द्र मेरा भतीजा नही है मैने अपील प्रकरण मे इस बावत स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यो के आधार पर तामील मानते हुये एक पक्षीय जेरअपील आदेश पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है। सेटलमेंट से पहले व बाद की जमाबंदी पत्रावली मे मौजूद है निर्णय मे भूमि के रकबे को बढा हुआ होना मानते हुये निर्णय पारित किया लेकिन मेरी कुल भूमि सेटलमेंट से पहले व बाद मे बराबर ही है। मुझे सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांन्त के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील 4 वर्ष बाद पेश की है जो मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य किये जाने का कोई युक्तियुक्त व न्यायोचित आधार नही है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। सेटलमेंट द्वारा रकबा कम ज्यादा करने संबधी रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे रिकार्ड पेश किया है जिससे अपीलांट का रकबा बढाते हुये मेरा रकबा कम किया जाना स्पष्ट होता है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत धारा 136 एलआरएक्ट के प्रार्थना पत्र को सही स्वीकार किया है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2015 (1) एच.सी. पेज 232, डीएनजे 2013 (एससी) पेज 829, आरआरटी 2017 (1) पेज 117 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2015 (1) एच.सी. पेज 232, डीएनजे 2013 (एससी) पेज 829, आरआरटी 2017 (1) पेज 117 पर गौर कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 3.8.2016 को सूचना देने पर जानकारी होना वर्णित कर जानकारी की तिथी से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माने जाने का अनुरोध किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को वर्णित करते हुये अपीलांट नरेन्द्र कुमार ने उक्त आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। यद्यपि विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस के दौरान अपील मियाद बाहर होने से तथा डिले कन्डोन का कोई युक्तियुक्त कारण नही होने से अपील को

मियाद के बिन्दू पर खारिज करने का अनुरोध किया गया किन्तु अपीलांट के शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो के खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर अथवा दस्तावेजात पेश नही किये गये। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई सदभाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण पर विचार कर अवलोकन किया गया। न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांरा द्वारा दिनांक 7.9.2012 को प्रार्थी हेमराज वगेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कमी रकबे की पूर्ति ख0 नं0 157 मे से 0.20 है एवं ख0 नं0 331 मे 0.04 की कमी कर पूर्ति करने का निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि ''अधीनस्थ न्यायालय के सम्मन की तामील अपीलांट को नही हुई। जितेन्द्र अपीलांट का भतीजा नही है। इस संबध मे अपील मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तथ्यो के आधार पर तामील मानते हुये एक पक्षीय जेरअपील आदेश पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है''। उक्त तर्क के संबध मे हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध सम्मन/आदेशिका का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 4.9.2012 को खातेदार बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 7.9.2012 को निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे सलग्न अपीलांट को जारी नोटिस/सम्मन की तामील मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनिन्दा जितेन्द्र कुमार (भतीजे) को देकर कराई जाना वर्णित है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट द्वारा जितेन्द्र कुमार उसका भतीजा नही होने संबधी स्वंय का शपथ पत्र पेश किया है। जिसका रेस्पो0 द्वारा खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन/प्रत्युत्तर मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख अपील पत्रावली मे उपलब्ध नही हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 7.9.2012 अपीलांट की अनुपस्थिति मे एक पक्षीय रूप से पारित किया है जिससे अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हो सका। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 21/03 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान हेमराज वगेरा नाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, नरेन्द्र कुमार आदि मे पारित निर्णय दिनांक 7.9.2012 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8 निर्णय आज दिनांक 25.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा